प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 25.08.2024

जनपद चन्दौली

□श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा गुप्त कावड़ त्यौहार के दृष्टिगत रात्रि में किया गया औचक निरीक्षण

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा देर रात्रि बिना पूर्व सूचना के रात्रि में औचक निरीक्षण किया गया। आज दिनांक 24.08.2024 को गुप्त कावड़ त्यौहार के दृष्टिगत रूट, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु ड्यूटी पर तैनात समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को दिया गया आवश्यक दिशा-निर्देशों।

श्रवण मास के समाप्ति के उपरांत पड़ने वाले प्रथम सोमवार को बिहार राज्य के थानाक्षेत्र चांद, चैनपुर, भभुआ आदि ग्रामों से जल चढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीणों द्वारा जलाभिषेक किए जाने की परम्परा है, जिसके क्रम में दिनांक-24.08.2024 को जनपद वाराणसी स्थिति रामनगर घाट से श्रद्धालुओं द्वारा जल लेने हेतु प्रस्थान कर जनपद चन्दौली के थानाक्षेत्र सैयदराजा स्थिति पुलिस चौकी धरौली सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश कर थाना चन्दौली अन्तर्गत नवही पुलिया कस्बा चंदौली इलिया मोड़ से नेशनल हाई-वे मार्ग के रास्ते थानाक्षेत्र अलीनगर अंतर्गत पचफेड़वा जगदंबा पेट्रोल पम्प कटारिया मोड़ होते हुए रामनगर वाराणसी घाट से जल लेने के उपरांत दिनांक-25.08.2024 को थानाक्षेत्र सैयदराजा स्थिति धरौली चौकी के पास दशरथ इण्टर कालेज के पास विश्राम के बाद देर सायं काल ग्राम अमाव थानाक्षेत्र चैनपुर जनपद भभुआ बिहार स्थित शिव मंदिर पर दिनांक 26.08.2024 दिन सोमवार को जलाभिषेक करने हेतु प्रस्थान करते हैं।

उक्त श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था व रूट आदि का पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा औचक निरीक्षण कर चेक किया गया और सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

प्रेस नोट दिनांक 25.08.2024
थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

थाना नौगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता 07 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 शातिर चोरो को किया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक(ऑपरेशन) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण /निर्देशन में थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा 07 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 शातिर चोरो को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 24.08.2024 को थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो की चेंकिग कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 02 व्यक्ति राबर्टसगंज से तिवारीपुर होते हुए मधुपुर की तरफ चोरी की मोटर साइकिल लेकर आ रहे है। इस सूचना पर विश्वास कर सघन चेंकिग के दौरान लगभग 25-30 मिनट बाद 02 व्यक्ति तिवारीपुर की तरफ से 02 मोटरसाइकिल दिखायी दी। दोनो व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर मझगांवा नहर पुलिस व शमशेरपुर मोड़ पर पहुँचे थे कि हम पुलिस वालो को देखकर गाड़ी लेकर भागना चाहे। मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगो का एक सुसंगठित एक गिरोह है। जिनके साथ मिलकर हमलोग मोटरसाइकिल चोरी करते है।और उन मोटरसाइकिल को बेचकर उनसे मिले रुपयों को आपस में बराबर-बराबर बाट लेते है। हमलोग चोरी की मोटरसाइकिलों का नम्बर प्लेट बदलकर सुरक्षित स्थान पर छुपा देतें हैं। इस समय हम लोगों द्वारा कुल 05 चोरी की मोटरसाइकिल को ग्राम जयमोहनी पोस्ता वन विभाग की चौकी जरलहवा के पीछे जंगल में छिपाकर रखा गया है जहां पर सीसीटीवी कैमरा नही लगा है और लोगो के आने जाने की सम्भावना भी कम है। इस सूचना पर पुलिस टीम के साथ वन विभाग की चौकी के पीछे जंगल से 05 अन्य मोटरसाइकिल बरामद कर कुल 07 मोटर साइकिल की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना नौगढ़ पर मु0अ0स0 83/2024 धारा 317(2)/ 317(4)/317(5)/319(2)/ 318(4) BNS पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण –

1. मु0अ0स0 83/2024 धारा 317(2)/ 317(4)/317(5)/319(2)/ 318(4) BNS थाना नौगढ , चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.आकाश पुत्र उपेन्द्र निवासी ग्राम अकधोर थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र उम्र 18 वर्ष
2. संजीत कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी ग्राम अकधोर थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र उम्र 19 वर्ष

बरामदगी –

1. 07 अदद मोटर साइकिल (चोरी का)
2. 02 मोबाईल
3. नकदी- 285 रु0/-

गिरफ्तारी /बरामदगी करने वाली टीम –

1.थानाध्यक्ष श्री कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।
2.उ0नि0 श्री मनोज कुमार यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।
3.उ0नि0 श्री रामभवन यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।
4.हे0का0 आशुतोष सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।
5.का0 विशाल यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।
6. का0 संदीप यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।
7. उ0नि0 विनोद वर्मा चौकी प्रभारी मझगावा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।
8. हे0का0 अभिषेक पाल थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।
9. का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट   दिनांक 25.08.2024
थाना-मुगलसराय जनपद चन्दौली

थाना मुगलसराय पुलिस टीम व सर्विलांस/स्वाट टीम द्वारा गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिह एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह व सर्विलांस/स्वाट प्रभारी उ0नि0 आशीष कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व मुगलसराय पुलिस टीम व जनपद के सर्विलांस/स्वाट टीम के सहयोग से मु0अ0सं0 346/2024 धारा 109 / 61(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली में अभियुक्त रमेश केशरी पुत्र स्व0 लक्ष्मण प्रसाद निवासी ग्राम नरायनपुर भितरी बाजार गांधी चबुतरा के पास थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर उम्र 40 वर्ष दिनांक 24.08.24 को गिरफ्तार किया गया था। जिससे पूछताछ से मनीष सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर व कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान मौर्या निवासी जीवनाथपुर संकट मोचन कालोनी पटनवां थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली का नाम प्रकाश में आया था। उपरोक्त वांछित अभियुक्तगण को 01 तमंचा 315 बोर के साथ थाना क्षेत्र सैयदराजा धरौली पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21/22.08.2024 को रात्रि 00.30 बजे ग्राम हमीदपुर मे सड़क पर विरेंद्रर कुमार वर्मा पुत्र अच्छेलाल वर्मा निवासी बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर को अज्ञात मोटर साइकिल सवार द्वारा हमीदपुर में गोली मारकर घायल कर दिया गया था जिसमें वादी मुकदमा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमे विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 24.08.24 को नामित अभियुक्त रमेश केशरी पुत्र स्व0 लक्ष्मण प्रसाद निवासी ग्राम नरायनपुर भितरी बाजार गांधी चबुतरा के पास थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार किया गया था। जिससे पूछताछ करने पर बताया था कि उसने अपने पूर्व परिचित कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान मौर्या निवासी जीवनाथपुर संकट मोचन कालोनी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली व मनीष सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर हाल पता कृष्ण कुमार का मकान संकट मोचन कालोनी पटनवा जीवनाथपुर थाना मुगलसराय चन्दौली से प्लान करके स्टेशन मास्टर विरेन्दर कुमार को गोली मरवाया था। क्योकि वह जीवनाथपुर रेलवे स्टेशन पर वेंडर का काम करता है जो बिस्किट नमकीन , चाय पानी का स्टाल लगता है । ट्रेन की सवारी उतरने पर उसके स्टाल से अच्छी बिक्री हो इसके लिए वो यह चाहता की ट्रेन उसी प्लेटफार्म पर रुके जिस पर उसका स्टाल है जिसके लिए वेन्डर रमेश केशरी द्वारा स्टेशन मास्टर विरेन्दर को धमकाया जाता था एवम् स्टेशन मास्टर द्वारा भी ट्रेन को उनके मनमुताबिक प्लेटफार्म पर रोकने के नाम पर पैसे की माँग बढ़ाकर कर रहे थे। जिससे वेन्डर रमेश केशरी काफी नाराज था, और स्टेशन मास्टर को क्षति पहुँचाने के लिए उसने अपने पूर्व परिचित कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान मौर्या निवासी जीवनाथपुर संकट मोचन कालोनी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली व मनीष सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर जो कि अपराधिक प्रवृत्ति के है से बात करके पैसा देकर के स्टेशन मास्टर विरेन्द्र कुमार वर्मा को गोली मारने के लिये कहा था जिसमे वेन्डर रमेश केशरी दिनांक 24.08.24 को गिरफ्तार हुआ था जिससे पूछताछ पर बताया कि मै स्टेशन मास्टर विरेन्दर से नाराज था और अपने पुराने जानने वाले कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान मौर्या निवासी जीवनाथपुर संकट मोचन कालोनी थाना मुगलसराय

जनपद चन्दौली व मनीष सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर से बात करके पैसा देकर के स्टेशन मास्टर विरेन्द्र कुमार वर्मा को गोली मारने के लिये कहा था जिसपर दोनो तैयार हो गये और इन्ही लोगो द्वारा स्टेशन मास्टर को ड्यूटी से घर जाते समय हमीदपुर गाँव मे सड़क पर गोली मारी गई थी । जिसके बाद उपरोक्त अभियुक्तगण की तलाश किया जा रहा था जो दिनांक 24.08.2024 को समय करीब 21.05 बजे थाना क्षेत्र सैयदराजा धरौली पुलिया के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्त-

1.कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान मौर्या निवासी जीवनाथपुर संकट मोचन कालोनी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.मनीष सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर

बरामदगी का विवरण-

1.01 तमंचा 315 बोर

आपराधिक इतिहास –

1.कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान मौर्या निवासी जीवनाथपुर संकट मोचन कालोनी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

1.मु0अ0सं0 254/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 311/23 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

2. मनीष सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर

1.मु0अ0सं0 254/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 311/23 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

3.मु0अ0सं0 09/23 धारा 401/411/414/420/467/468/471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अदलहाट, मिर्जापुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

2.उ0नि0 आशीष मिश्रा (प्रभारी स्वाट/सर्विलांस) जनपद चन्दौली ।

3.म0उ0नि0 पूजा कौर चौकी प्रभारी औद्योगिक नगर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

4.हे0का0 राणा प्रताप सिंह स्वाट सेल जनपद चन्दौली

5.हे0का0 रामानन्द यादव स्वाट सेल जनपद चन्दौली

6.हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव सर्विलांस शाखा जनपद चन्दौली

7.हे0का0 मन्टु सिंह सर्विलांस शाखा जनपद चन्दौली

8.का0 नीरज मिश्रा सर्विलांस शाखा जनपद चन्दौली

9.का0 अजीत सिंह सर्विलांस शाखा जनपद चन्दौली

10.का0 मनीष कुमार सर्विलांस शाखा जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 25.08.2024
जनपद चन्दौली

□ कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही खाकी कर रही रिश्तों को भी मजबूत।
□ छोटी मोटी बातों व गलतफहमियों के कारण अलग हुए दम्पत्तियों को चन्दौली पुलिस द्वारा लगातार समझा-बुझाकर कराया जा रहा एक।
□ महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र के अथक प्रयास से आज 04 बिछड़े दम्पत्ति पुनः एक साथ रहने को हुए राजी।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा बिछड़े दम्पतियों को मिलाकर एक परिवार के बीच पुनः खुशियां लौटाने का लगातार सार्थक प्रयास किया किया जा रहा है। दिनांक 25.08.2024 को ऐसे ही 04 परिवार से पति व परिजनों के विरुद्ध पारिवारिक विवाद के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को जरिये नोटिस/मोबाइल द्वारा सूचित कर महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र पर बुलाकर पारिवारिक मूल्यों एंव महत्व को बताते हुए अथक प्रयास से समझाया बुझाया गया। दोनों पक्ष आपसी सहमति एवं बिना किसी जोर दबाव के अपनी बीती हुई बातों/गलतियों को स्वीकार कर नये सिरे से पुनः पति/पत्नी की तरह एक दूसरे का सम्मान करते हुये रहने को तैयार हुये। महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र से दम्पति के बीच पारिवारिक विवाद को समाप्त कराते हुये टूटते हुये रिश्ते को बचाते हुये पति/पत्नी को परिजनों के साथ राजी खुशी भेजा गया।

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण
□महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेक्स व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त
□सभी का उद्देश्य जनकल्याण व मानव समाज की सेवा करना शासन-प्रशासन महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान व उनके उत्थान व सशक्तिकरण हेतु है प्रतिबद्ध
□समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग भी की जा रही है।

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 25.08.24 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 02 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.08.2024
जनपद चन्दौली

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा समस्त थानों पर की गई पीस कमेटी की बैठक
आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व चेहल्लुम त्योहार के दृष्टिगत की गई पीस कमेटी की बैठक

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा आज दिनांक 25.08.2024 को आगामी त्यौहार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व चेहल्लुम के दृष्टिगत शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के समस्त थानों द्वारा आगामी त्यौहार पर शोभायात्रा एवं जुलूस आयोजकों व प्रबन्धकों, धर्मगुरूओं व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को त्यौहारों के सम्बन्ध में शासन स्तर से जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।

मीटिंग के दौरान उपस्थित लोगों को बताया गया कि त्यौहार के दौरान कोई भी शोभायात्रा एवं जुलुस बिना अनुमति के न निकाला जाए तथा निकलने वाले शोभायात्रा या जुलूस एवं उनके रूट आदि की सूचना प्रशासन एवं पुलिस को अवश्य दें, जिससे समुचित पुलिस प्रबन्ध किया जा सकें और शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार सम्पन्न कराया जा सकें। साथ ही लोगों को बताया गया कि परंपरागत तरीके से ही शोभायात्रा/जुलुस निकाले जाए, पूर्व की भांति शोभायात्रा/जुलुस जिन मार्गों से निकाले जाते है वही से निकाले जाए उनके मार्ग में किसी भी प्रकार का नया फेर बदल ना किया जाए तथा त्यौहार के दौरान निकलने वाले शोभायात्रा, झांकी, अलम, ताजिया की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक नही होनी चाहिए ।

मीटिंग में उपस्थित लोगों को बताया गया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं चेहल्लुम के शोभायात्रा/जुलूस एक ही समय व एक ही मार्ग पर न निकाले जाए आवश्यकतानुसार मार्ग या समय परिवर्तन कर लिया जाए ताकि जुलूस एक दूसरे को क्रास न करने पाए। साथ ही उपस्थित लोगो को बताया गया कि विद्युत अथवा साफ-सफाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित विभाग को सूचित करें, जिससे की समस्या का समाधान किया जा सकें।
तत्पश्चात मीटिंग में उपस्थित लोगो से त्यौहारों को शांतिपूर्ण एवं आपसी भाई-चारे के साथ मनाने एवं पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने हेतु अपील की गई तथा सभी को बताया गया कि क्षेत्र में होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं की सूचना समय से पुलिस को दें, जिससे कोई बड़ा विवाद उत्पन्न न हो सके। साथ ही लोगों को सोशल मीडिया पर भ्रामक अथवा किसी भी धर्म सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कोई अवांछित पोस्ट ना करने हेतु बताया गया तथा बताया गया कि पुलिस द्वारा अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों पर लगातार सोशल मीडिया टीम द्वारा निगरानी की जा रही है इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत सोच समझकर करे।

प्रेस नोट-दिनांकः 25.08.2024
यातायात पुलिस चंदौली

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 04 दिवस में कुल 979 वाहनों का चालान करते हुए 15,57,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।
□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान
□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.08.2024 से दिनांक 25.08.2024 तक जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 979 वाहनों का चालान करते हुए 15,57,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या	**यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार**	**चालान की संख्या**
1	बिना सीट बेल्ट- 10	
2	ड्राइविंग के समय मोबाईल का प्रयोग- 06	
3	बिना हेलमेट- 391	

4 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी- 76
5 नो पार्किंग- 246
6 गलत नम्बर प्लेट- 14
7 लाइसेंस ना होना- 30
8 गलत दिशा - 40
9 बेबजह हॉर्न बजाना- 01
10 बिना फिटनेस- 29
11 बिना बीमा- 37
12 अन्य- 99

यातायात नियमों के उलंघन में 04 दिवस में की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-979

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-15,57,000/- रूपयें।